

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 418]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 अगस्त 2009—भाद्र 5, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग  
( सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ )  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2009

क्र. एफ. 11-39-2008-सूअप्र-एक-9.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-39-2005-सूअप्र-एक-9, दिनांक 30 अगस्त 2007 में, जो "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 30 अगस्त 2007 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

#### संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक (4) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“(5) वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन राज्य एंटी इवेजिन ब्यूरो.”

No. F. 11-39-2008-RTI-I-9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 24 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) the State Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification No. F. 11-39-2005-I-9-RTI, dated 30th August 2007, which was published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated 30th August 2007 namely :-

#### AMENDMENT

In the said notification, after serial number (4) and entries relating therto, the following shall be added, namely :-

“(5) Anti-evasion Bureaus of the State under the Commercial Tax Department.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रदीप खरे, सचिव.